क्रम सं0-563

आदेश की कार्यवाही टिप्पणी दिनांक सहित	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

3 रामसेवक राम पिता स्व0 जुगल राम, निवास स्थान ग्राम-बलियन्द, पोस्ट-कदमा, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी, मौजा-बलियन्द, थाना नं0-83, खाता संख्या-22, प्लॉट संख्या-1370, 1374, 1375, 1376, 1380, 1381, 1382, 1383, रकवा क्रमशः 0.06 एकड़, 0.04 एकड़, 0.03 एकड़, 0.03 एकड़, 0.01 एकड़, 0.01 एकड़, 0.01 एकड़, एवं 0.05 एकड़ कुल रकवा 0.24 एकड़ (24 डिसमिल) (चौबिस डिसमिल) भूमि नरेश रविदास पिता स्व0 लोचन रविदास, निवास स्थान ग्राम-सरैयाडीह, पोस्ट-सरैया, थाना-बरही, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा भूमि से संबंधित कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgemnt No.-RCMSON22034466 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-814/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 6207/रा0 दिनांक 03.12.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमसांडी को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के पत्रांक 64 दिनांक 14.02.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। प्रश्नगत् भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार आवेदित भूमि रैयती है। खतियानी रैयत जीतन महरा हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 1.60 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 1.4850 एकड़ भूमि है। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-22, भौल्युम-I में खाता संख्या-22, रकवा-1.4850 एकड़ की जमाबंदी जीतन चमार के नाम से कायम है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत् है। खतियानी/जमाबंदी रैयत आवेदक के दादा हैं। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 0.40 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 0.27 एकड़ भूमि बचती है। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1	2	

Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के अनुशंसा के आलोक में रामसेवक राम पिता स्व0 जुगल राम, निवास स्थान ग्राम-बलियन्द, पोस्ट-कदमा, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी, मौजा-बलियन्द, थाना नं0-83, खाता संख्या-22, प्लॉट संख्या-1370, 1374, 1375, 1376, 1380, 1381, 1382, 1383, रकबा क्रमशः 0.06 एकड़, 0.04 एकड़, 0.03 एकड़, 0.03 एकड़, 0.01 एकड़, 0.01 एकड़, 0.01 एकड़, एवं 0.05 एकड़ कुल रकबा 0.24 एकड़ (24 डिसमिल) (चौबिस डिसमिल) भूमि नरेश रविदास पिता स्व0 लोचन रविदास, निवास स्थान ग्राम-सरैयाडीह, पोस्ट-सरैया, थाना-बरही, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.02.22 13:57:01 +05:30
Location: 192.168.0.102